न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/15/2018

1. तेजराज पुत्र भंवरलालजी,
2. ताराचंद पुत्र भंवरलालजी,
3. हरीलाल पुत्र भंवरलालजी,

जातिगण रावल, निवासीगण बोरडी, तहसील रानी जिला पाली

..... अपीलार्थी

ब ना म

1. ओगड़राम पुत्र हीरारामजी, जाति सिरवी, निवासी देसूरी हाल जीवन्दकलां तहसील रानी जिला (राज.)
2. पुष्पा पत्नी अशोकजी, पुत्री भंवरलालजी जाति रावल निवासी चेलावास तहसील मारवाड जंक्शन हाल प्रतिज्ञा क्लॉथ स्टोर, मैन बाजार रानी स्टेशन तहसील रानी जिला पाली
3. राज. राज्य जरिए तहसीलदार, रानी जिला पाली (राज.)

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री दिव्यप्रकाश त्रिवेदी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो

निर्णय दिनांक : 5/3/2020

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टीनेंसी एक्ट के तहत् अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा एक वाद धारा 88, 92ए, 188, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट का इस आशय का अपीलाण्ट्स के विरुद्ध पेश किया था कि ग्राम बोरडी के खसरा नंबर 405, 406, 407, 410, 419/1 कुल रकबा 8.39 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या दो का 1/5 हिस्सा खातेदारी का था, जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 10.10.14

द्वारा खरीद कर लिया है इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या एक उपरोक्त 1/5 हिस्से का खातेदार हो गया है। अपीलाण्ट्स बार–बार उपरोक्त हिस्से में दखलंदाजी कर जमीन को खुर्द–बुर्द करने इत्यादि की धमकी दे रहे हैं इसलिए माफिक कब्जा बंटवाड़ा किया जावें और बेदखल नहीं करने, जमीन को खुर्द–बुर्द नहीं करने इत्यादि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित कर उपरोक्त हिस्से का रेस्पोडेण्ट संख्या एक को खातेदार घोषित किया जावें। उपरोक्त वाद का अपीलाण्ट्स की ओर से जवाबदावा पेश कर वाद में वर्णित तथ्यों से इंकार किया और जवाबदावा के साथ काउण्टर क्लैम पेश कर उपरोक्त भूमि को अविभाजित होना बताते हुए संपूर्ण भूमि कुल रकबा 8.39 हैक्टेयर का अपीलाण्ट्स को खातेदार घोषित करने और अपीलाण्ट्स के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में दखल नहीं करने बाबत अनुतोष चाहा। इससे पूर्व अपीलाण्ट्स एवं अपीलाण्ट्स की माता चंदाबाई द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट्स के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा धारा 88 के तहत पेश किया, जिसके वाद संख्या 51/14 है। उपरोक्त दोनों वादों को कंसोलिडेट किया गया और वाद संख्या 52/14 में 7 तनकियात कायम की गई एवं वाद संख्या 51/14 में 4 तनकियात कायम की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपने वाद की ताईद में गवाहान पी. डब्ल्यू.–1 ओगड़राम, पी.डब्ल्यू.–2 पुष्पा व पी.डब्ल्यू.–3 मकनाराम के बयान करवाए। अपीलाण्ट्स की ओर से साक्ष्य में तेजराज, ताराचंद, ईश्वरलाल, वागाराम, बंशीलाल, राजेन्द्रकुमार, अर्जूनसिंह, सवाराम, लादाराम, घीसाराम के शपथ–पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन केवल मात्र ताराचंद से जिरह पूर्ण हुई, शेष गवाहान की बिना किसी आधार के ही जिरह नहीं करवाते हुए साक्ष्य बंद कर दी और सीधे ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिए, जो विधि विरूद्ध है।

2. उपरोक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब

की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि जब एक ही भूमि के संबंध में अपीलाण्ट्स की ओर से पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 51/2014 अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित था, इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने उपरोक्त वाद संख्या 52/2014 अपीलाण्ट्स के विरूद्ध पेश किया था। दोनों वादों में तनकीयात अलग अलग कायम की जाकर दोनों वादों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समेकित किया गया था। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से वाद संख्या 52/2014 में काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया था। इस प्रकार दोनों समेकित वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम को निर्णित किया जाना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र वाद संख्या 52/2014 में ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये, लेकिन अपीलाण्ट्स की ओर से लम्बित समेकित वाद एवं अपीलाण्ट के वाद संख्या 52/2014 में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निर्णित नहीं किया। उपरोक्त वाद संख्या 52/2014 एवं काउन्टर क्लेम को न तो खारिज किया, न ही स्वीकार किया, न ही इनसे संबंधित तनकीयात को निर्णित किया। साथ ही अपीलाण्ट्स की ओर से साक्ष्य में कई गवाहान के शपथ पत्र पेश किये थे, लेकिन एकमात्र ताराचंद के ही बयान पूर्ण हुए, शेष गवाहान की जिरह बंद करते हुए साक्ष्य बंद कर दी। इस प्रकार साक्ष्य का कोई मौका नहीं दिया गया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है, साथ ही अपीलाधीन निर्णय वादपत्र में कायम की गई तनकीयात अनुसार पारित नहीं किया है, विधिक रूप से प्रत्येक तनकी को निर्णित करते हुए ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ही प्राथमिक डिक्री पारित करने बाबत् आदेशिका दिनांक 08.02.2018 एवं 23.02.2018 में मंशा जाहिर कर दी थी इस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। तनकी अनुसार निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है, इस संबंध में 2014(2) RRT 1136 भूरीयासिंह बनाम जयसिंह, 2011(2) RRT 763 रमेश बनाम रोडीदेवी,

2015(1) RRT 8 ताराचंद बनाम राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, साथ ही अपील स्वीकार कर पत्रावली पुनः अपीलाण्ट्स को साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिये जाने, अपीलार्थी के काउन्टर क्लेम एवं समेकित वाद संख्या 51/2014 को भी मैरिट पर निर्णित किये जाने बाबत् रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

3. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट को साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया था। वादी की साक्ष्य दिनांक 8.2.2017 को पूर्ण हो चुकी थी, उसके बाद दिनांक 16.11.2017 को प्रतिवादी अपीलाण्ट को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया था, तत्पश्चात् दिनांक 12.1.2018 को अपीलाण्ट की ओर से साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये थे। तत्पश्चात् शेष साक्ष्य उपस्थित नही होने से जिरह बंद की गई है और विधिवत रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। वाद विभाजन का था, इस कारण से प्राथमिक डिक्री पारित की गई है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 51/2014 एवं काउन्टर क्लेम में साक्ष्य पेश नहीं होने से स्वतः ही खारिज है, जिसके लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से अपील खारिज करने का निवेदन किया। यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा, विभाजन का वाद पेश किया था और विधिवत रूप से पंजीबद्ध विक्रय पत्र से भूमि खरीद की गई है, मौके पर काबिज है, प्रमाण में विक्रय पत्र प्रदर्श 4–ए, जमाबंदी प्रदर्श–1, गिरदावरी प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 दस्तावेज पेश किये, जिस अनुसार वाद विधिनुसार काबिल डिक्री है। इसलिए अपील खारिज करने का निवेदन करते हुए न्यायिक दृष्टान्त 2016-17 RRT 57 बेहराम बनाम अजीम, 2014(1) RRT 618 मांगीलाल बनाम राज. राज्य, 2010(1) RRT 703 नरसम्मा बनाम कर्नाटक राज्य, 2017(1) RRT 82 लादू बनाम रोडू, 2016(2) RRT 791 चेनाराम बनाम राजस्व मण्डल पेश किये, साथ ही चतुर्थ अनुसूची राजस्थान

टीनेंसी एक्ट की पेश की और निवेदन किया कि आदेश 20 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस कारण से तनकी अनुसार वाद निर्णित करने की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज करने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड अनुसार एक वाद संख्या 51/2014 चंदाबाई बनाम पुष्पा को वाद संख्या 52/2014 तेजराज बनाम ओगड़ के साथ समेकित किया हुआ है, दोनों वादों में अलग अलग तनकीयात कायम की हुई है, साथ ही वाद संख्या 52/2014 में अपीलाण्ट्स की ओर से काउन्टर क्लेम भी पेश हो रखा है, इस प्रकार काउन्टर क्लेम भी वाद के रूप में ही माना जाता है। काउन्टर क्लेम अपीलाण्ट की ओर से खातेदारी उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का था। विधिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 52/2014 के साथ साथ अपीलाण्ट की ओर से भी प्रस्तुत समेकित वाद 51/2014 एवं वाद संख्या 52/2014 के साथ अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को विधि अनुसार निर्णित किया जाना आज्ञापक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वाद संख्या 52/2014 को ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा निर्णित किया है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं पूर्व समेकित वाद संख्या 51/2014 को निर्णित भी नहीं किया तथा लम्बित भी नहीं रखा है, जो विधि अनुसार नहीं है। समेकित वाद एवं काउन्टर क्लेम को मूल वाद के साथ ही निर्णित किया जाना आवश्यक है, इसके अलावा अपीलाण्ट्स को साक्ष्य हेतु पूर्ण अवसर नहीं दिये गये है, अपीलाण्ट्स की ओर से पेशी दिनांक 12.10.2018 को ही तेजराज, ताराचंद, ईश्वरलाल, वागाराम, बंशीलाल, राजेन्द्र कुमार, अर्जुनसिंह, सवाराम, लादाराम, घीसुलाल के शपथ पत्र पेश किये थे, लेकिन एक ही गवाह ताराचंद से ही जिरह हो पाई थी, शेष साक्ष्य हेतु पेशी अवश्य ही दिनांक 8.12.2018 को दी गई थी, लेकिन उस दिन साक्ष्य बंद

कर सीधे ही पत्रावली आदेश हेतु नियत कर दी थी, जो हमारी राय में विधिवत नहीं है। प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तनकी अनुसार निर्णित नहीं किया गया है, विधिक रूप से वाद को प्रत्येक तनकी को निर्णित किया जाकर तनकी अनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिए, इस संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्णरूपेण चस्पा होते है। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया, लेकिन प्रस्तुत मामले से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त स्थिति में अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

लिहाजा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2014 में दिनांक 9.3.2018 को पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है तथा पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलाण्ट्स को साक्ष्य का पूर्ण एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं अपीलाण्ट्स की ओर से पूर्व में प्रस्तुत समेकित वाद संख्या 51/2014 को भी इस वाद के साथ तनकी अनुरूप निर्णित किये जावें।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)